न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 26/24

GCMS NO 2024/36

1. लडडूलाल पुत्र स्व0अम्बालाल जाति मीना निवासी ग्राम चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
2. बुद्विप्रकाश पुत्र स्व0दामोदर दास जाति बैरागी निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. महेन्द्र कुमार पुत्र स्व0दामोदर दास जाति बैरागी निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. लक्ष्मण सिह पुत्र स्व0मदन सिह (फौत)

4/1. श्रीमती भवरी दे॰ पत्नि लक्ष्मण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

4/2. नरपत सिह पुत्र लक्ष्मण सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

5. श्योजी पुत्र स्व0प्रभू जाति मीना निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
6. मोहनलाल पुत्र स्व0कल्या जाति मीना निवासी ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
7. कालूराम पुत्र स्व0कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
8. रामसहाय पुत्र स्व0कल्याण जाति मीना निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी महाराज विराजमान ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर जरिये पुजारी मूलचंद ब्राहम्ण पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर (फौत)

1/1. अर्जुन लाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

2. सुखदेवा पुत्र रामचन्दर जाति बैरवा निवासी चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
3. सत्यनारायण पुत्र नेहन्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
4. रामलाल पुत्र लहोडक्या जाति बैरवा निवासी ग्राम चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
5. मदनलाल पुत्र लहोडक्या जाति बैरवा ग्राम चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
6. गोपाल पुत्र कल्याण जाति बैरवा निवासी ग्राम चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
7. रामदयाल पुत्र कल्याण (हजॅफ)

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

8. प्रभूदयाल पुत्र गोपाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
9. श्रीमती पुष्पा देवी पत्नि स्व0योगेन्द्र बैरागी (हजफ)
10. सत्यनारायण पुत्र स्व0शंकरदास जाति बैरागी (फौत)(हजफ)
11. सोभाग्यमल पुत्र गोविन्दा जाति अहीर निवासी ग्राम इसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
12. कालूराम पुत्र गोविन्दा जाति अहीर निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
13. देवनारायण पुत्र कल्याण जाति अहीर निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
14. छीतर पुत्र रंमां जाति मालि निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
15. हीरालाल पुत्र गोपाल जाति माली निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
16. घासी पुत्र मोती जाति माली निवासी ग्राम चोकडी तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
17. जय सिह पुत्र स्व0मदन सिह (हजफ)
18. दुर्गा सिह पुत्र स्व0मदन सिह (हजफ)
19. किशोर सिह पुत्र स्व0मदन सिह (हजफ)
20. प्रताप सिह पुत्र स्व0मदन सिह जाति राजपूत निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
21. महेश सिह पुत्र स्व0मदन सिह (हजफ)
22. रघुवीर सिह पुत्र स्व0मदन सिह (हजफ)
23. मोहरपाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
24. धन्ना पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
25. पंचू पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर
26. लैण्ड होल्डर तहसीलदार चौथ का बरवाडा जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 72/2005 निर्णय व डिकी दिनांक 5.1.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा)

अभिभाषक अपीला0 श्री बालकृष्ण उपाध्याय
अभिभाषक रैस्पो0 श्री अब्दुल वहाव

दिनांक 30.10.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्व निर्णय व डिकी दिनांक 5.1.24 न्यायालय उपजिला कलक्टर, चौथ का बरवाडा पेश की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 मूलचंद द्वारा दावा घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व बेदखल करके कब्जा दिलाये जाने बाबत इस आशय का पेश किया कि जमाबंदी खाता न0 2 ग्राम चौकडी पटवार हल्का ईसरदा आराजी खसरा न0 592 रकबा 5 बीघा 7 विस्वा जिसके नये खसरा न0 49 रकबा 0.25 है0 व खसरा न0 51 रकबा 1.10 है0 है जो मंदिर मूर्ति रघुनाथजी महाराज विराजमान वाके ग्राम ईसरदा की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है। जिस पर प्रतिवादी न0 1 पुराने वाद पत्र के मुताबिक अब्बालाल फौत हो जाने जबरदस्ती लठठ के बल पर कब्जा कर रखा है अब अब्बालाल के फौत होने पर उसके पुत्र लडडूलाल ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जौ अवैध है तथा अतिकमी की तारीफ मे आता है। बेदखल किये जाने योग्य है। जमाबंदी खाता संख्या 31 ग्राम चौकडी पटवार हल्का ईसरदा की आराजी ख0न0 593 रकबा 2 बीघा 8 विस्वा जिसके नये नम्बर 52 रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम चौकडी मंदिर मूर्ति रघुनाथजी महाराज वाके ग्राम ईसरदा की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर प्रतिवादी न0 2 नरसी पुराने वाद पत्र के मुताबिक ने लठठ के बल पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जो अवैध एवं अतिकमी की तारीफ मे आता है। बेदखल किये जाने योग्य है। खाता संख्या 617 आराजी खसरा न0 632 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम ईसरदा जिसके नये नम्बर 1463 रकबा 0.50 है0 वाके ग्राम ईसरदा मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथजी महाराज वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है इस पर जबरदस्ती लठ के बल पर प्रतिवादी न0 3 रामचन्द्र पुत्र बख्तावरा बैरवा ने कब्जा कर रखा है। और अब इसके बाद उसका पुत्र सुखदेवा तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 9 ने मुताबिक पुराने वाद पत्र कब्जा कर रखा है। जो अवैध है ओर अतिकमी की तारीफ मे आता है। जो बेदखल किये जाने योग्य है। जमाबंदी खाता संख्या 342 आराजी खसरा न0 1707 रकबा 10 बीघा 14 विस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 2587 रकबा 0.59 है0, 2588 रकबा 0.01 है0, 2589 रकबा 1.11 है0, 2590 रकबा 0.99 है0 है जो मूर्ति मंदिर रघुनाथजी महाराज के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर प्रतिवादी न0 7 प्रभूदयाल ने व प्रतिवाद न0 8 शंकरदास ने पुराने वाद पत्र के मुताबिक जबरदस्ती लठठ के जोर पर कब्जा कर रखा है तथा अब प्रतिवादी न0 8 के फौत हो जाने के उसके पुत्र दामोदर एवं सत्यनारायण पिसरान शंकरदास ने पुराने वाद पत्र के मुताबिक जबरदस्ती लठठ के बल पर कब्जा कर रखा है। तथा अब प्रतिवादी संख्या 8 के फौत हो जाने पर उसके पुत्र दामोदर एवं सत्यनारायण तथा प्रतिवादी संख्या 7 के लडके श्योजी ने जबरदस्ती लठठ के बल पर कब्जा कर रखा है। जो अवैध है। जमाबंदी खाता संख्या 182 की आराजी खसरा न0 1729 रकबा 1 बीघा जिसके नये नम्बर 2592 रकबा 0.26 है0 कायम हुए है जो मूति मंदिर रघुनाथ जी की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिस पर पुराने वाद के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 9 गोविन्दा पुत्र रामदेवा एवं प्रतिवादी संख्या 10 जयनारायण पुत्र कल्याण जाति जाट निवासी ग्राम ईसरदा ने लठठ के जोर पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जो अवैध है। जमाबंदी खाता संख्या 998 आराजी खसरा न0 1893 रकबा 14 विस्वा जिसके नये खसरा न0 2926 रकबा 0.18 है0 वाके ग्राम ईसरदा मंदिर मूर्ति रघुनाथजी वाके ग्राम ईसरदा के कब्जे काश्त की खातेदारी की आराजी है जिस पर जबरदस्ती लठठ के जोर पर पुराने वाद पत्र के मुताबिक प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 13

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रंगा,गोपाल,मोती पिसरान रोडू जाति माली निवासी ईसरदा ने लठठ के बल पर कब्जा कर रखा है जो अवैध है। जो बेदखल किये जाने योग्य है। खाता संख्या 508 आराजी खसरा न0 1950 रकबा 2 बीघा 2 विस्वा जिसके नये नम्बर 3106 रकबा 0.63 है0 कायम किये है जो मंदिर मूर्ति रघुनाथजी महाराज वाके ग्राम ईसरदा के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर मुताबिक पुराने वाद पत्र के प्रतिवादीगण संख्या 14 लगायत 21 ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जो अवैध है बेदखल किये जाने योग्य है। जमाबंदी खसरा संख्या 706 आराजी खसरा न0 2215 रकबा 23 बीघा 19 विस्वा जिसके नवीन खसरा न0 3776 रकबा 5. 33 है0 बने है जो मंदिर मूर्ति रघुनाथजी महाराज वाके ग्राम ईसरदा की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी है जिस पर प्रतिवादी न0 23 व 24 ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है जो अवैध बेदखल किये जाने योग्य है। वादी मंदिर विराजमान श्री रघुनाथजी महाराज ग्राम ईसरदा की तन्हा खातेदारी कब्जा काश्त की आराजीयात खसरा न0 592,593,1707,1728,1893,1950, 1951,2215 जिसके नये खसरा न0 49,51,52,1463,1464,2587,2588,2589,2590, 2592, 2926, 3108,3127, 3106/5413,3776,3779 कुल किता 10 रकबा 57 बीघा 12 विस्वा कुल नये किता 16 वाके ग्राम ईसरदा व वाके ग्राम चोकडी है जो सदैव से मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथजी की सेवा पूजा भोग विलास के लिए ठिकाना ईसरदा से दी गई है। जिससे की मंदिर की सेवा पूजा होती रहे और भोग विलास लगता रहे। उक्त सम्पूर्ण विवादग्रस्त आराजीयात को पुराने वाद के मुताबिक प्रतिवादीगण न0 1 ता 23 पूर्वतः साझेदार बांटे पर काश्त करके बंटवारे का अनाज मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथ जी के पुजारी मूलचंद पुत्र लक्ष्मीनारायण को देते चले आ रहे है। लेकिन वर्तमान मे श्यालू की फसल पर मंदिर मूर्ति श्री रघुनाथजी वाके ग्राम ईसरदा के नाम खातेदारी लग जाने से नाराज हो गये व अनाज का बंटवारा देने से मना कर दिया और न ही रबी की फसल मे से बंटवारा देना चाहते है। इसलिए प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजीयात से बेदखल करना आवश्यक है। अतः दावा वादी इस अमर का डिक्री फरमाया जावे कि वादी की खातेदारी की आराजीयात खसरा न0 पुराना 592,593,1707,1728,1893,1950, 1951,2215 वादी की खातेदारी की भूमि है। वादी के कब्जे काश्त की उक्त आराजीयात पर से अवैध अतिक्रमण करने से समस्त प्रतिवादीगण को रोका जावे तथा वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की मदालखत मजाहमत न तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से रेस्पो0 संख्या 1 मूलचंद द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 31.3.98 को वादग्रस्त आराजीयात को मंदिर माफी की भूमि मानते हुए दावा डिक्री किया गया था जिसके विरूद्व अपीलांटगण द्वारा रिब्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दिनांक 19.10.02 को स्वीकार किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

जाकर इस निर्णय को निरस्त कर दिया गया। जिसके विरूद्व रेस्पो0 पुजारी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 15.10.03 को स्वीकार की जाकर दिनांक 31.3.98 के निर्णय को बहाल कर दिया गया जिसके विरूद्व अपीलांटगण ने राजस्व मंडल अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या 161/03 प्रस्तुत की जो दिनांक 30.6.05 को स्वीकार कर जाकर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर तथा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णयो को निरस्त कर पत्रावली पुनः सुनवाई हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की गई। चूकि इसी दौरान उपखण्ड चौथ का बरवाडा सृजित हो जाने से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाडा को अन्तरित की गई। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य मे मूलचंद,गोपाल लाल,अर्जुन लाल ,ओमप्रकाश के बयान दर्ज किये गये तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटगण की ओर से दामोदर दास, लडडूलाल ,श्योजी के बयान दर्ज किये गये। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के अभिवचनो के आधार पर कुल 11 तनकीयात कायम की गई जिसमे तनकी संख्या 1 लगायत 4 को साबित करने का भार वादी/रेस्पो0 संख्या 1 पर डाला गया तथा तनकी संख्या 5 लगायत 11 का भार प्रतिवादीगण/अपीलांटगण पर डाला गया। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा दिये गये आदेश मे अधिनस्थ न्यायालय को तनकीवार निर्णय करने के निर्देश दिये गये थे परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने इन निर्देशो को अनदेखा कर विधि विरूद्व मनमाना निर्णय पक्षकारान की बहस सुने बगैर व पक्षकारान को सूचित किये बगैर चुपचाप अपने स्थानान्तरण के समय पत्रावली मे सम्मिलित कर दिया तथा बिना पक्षकारान को सूचना दिये निर्णय पारित कर स्थानान्तरण पर चले गये। इसकी जानकारी अपीलांटगण को नही दी गई इस कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 1.3.24 को हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व ना तो पत्रावली का अवलोकन किया ना ही पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्रो का अवलोकन किया इसी कारण रेस्पो0 संख्या 1 मंदिर मूर्ति रघुनाथ जी विराजमान ग्राम इसरदा के पुजारी मूलचंद ब्राहम्ण की वाद के दौरान मृत्यु हो जाने के बाबजूद भी शीर्षक मे उनके पक्ष मे उनका नाम बतौर जिवित पुजारी अंकित किया है जो तथ्यो व परिस्थितियो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। इसी प्रकार वाद मे शीर्षक मे प्रतिवादी संख्या 2 के रूप मे नरसी पुत्र गोरीलाल का नाम अंकित किया गया है जबकि नरसी की मृत्यु वाद के दौरान होकर उसके विधिक वारिसान का नाम उनके स्थान पर अंकित किया जा चुका है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 13 के स्थान पर मोती पुत्र सेडू माली का नाम तथा प्रतिवादी संख्या 14 के स्थान पर मुस0प्रेम बेवा मदनलाल का नाम अंकित किया है जबकि इनकी मृत्यु वाद के दौरान हो चुकी है। इस करण आलोच्य निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा पेश किये गये व प्रदर्श कराये गये दस्तावेजात का ना तो अध्ययन किया ना ही अवलोकन किया गया। जो विधि विरूद्व होने से आलोच्य निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगण द्वारा अपने काउन्टर क्लेम को साबित करने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य के साथ साथ मौखिक साक्ष्य भी प्रस्तुत की जिनके बयानो मे प्रस्तुत दस्तावेजो को प्रदर्शित कराया जाकर काउन्टर क्लेम को पूर्णतः साबित किया था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इसे अनदेखा कर विधिक भूल की है। मात्र इसी आधार पर अधिनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी

न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा लगातार पिछले काफी समय से न्यायालय मे बैठ कर सुनवाई नही की जा रही थी तथा दैनिक तारीख पेशी जरिये कॉज लिस्ट दी जाती रही है। इस कारण इस वाद मे कब व किस दिनांक को सुनवाई की गई इसकी जानकारी अपीलांटगण को नही हो सकी तथा अधिनस्थ न्यायालय ने मन माने तरीके से चुपचाप आदेशिका मे बहस सुनने का अंकन कर बिना अपीलांटगण के अधिवक्ता की बहस सुने चुपचाप निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट द्वारा अपनी साक्ष्य मे प्रस्तुत दस्तावेजी प्रदर्श ए'1 जमाबंदी सम्वत 2014 से 2017 प्रस्तुत की है जिसके कॉलम संख्या 5 मे कृषक के स्थान पर भूरा पुत्र रोडू का नाम अंकित है। इसी प्रकार प्रदर्श ए–2 जमाबंदी सम्वत 2018 से 2021 के कालम संख्या 5 मे मदन पुत्र श्योजी का नाम दर्ज है इसी प्रकार प्रदर्श ए–3 खसरा गिरदावरी सम्वत 2019 से 2042 मे लक्ष्मीनारायण वगै0 का नाम बतौर कृषक दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श ए–4 खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2042 मे बतौर कृषक लक्ष्मीनारायण का नाम दर्ज है तथा प्रदर्श ए–5 खसरा गिरदावरी सम्वत 2039 से 2042 मे लक्ष्मीनारायण आदि का नाम बतौर कृषक दर्ज है पर्चा चकबंदी प्रदर्श ए–7 सम्वत 2004 से 2023 मे बतोर कृषक शंकर दास बा[illegible]जी का नाम दर्ज है। इसी प्रकार प्रदर्श ए–11 लगायत ए–14 जमाबंदियो मे अपीलांटगण के पूर्वज खातेदार काश्तकार दर्ज होना साबित है। जिससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि मंदिर की खुदकाश्त न होकर अपीलांटगण के पूर्वजो की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात रही है। जिसको मंदिर के नाम अंकित किया जाकर विधिक भूल की है। अपीलांटगण द्वारा अपने दस्तावेजी साक्ष्य मे एन यू टी की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की है जिससे यह साबित है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व से ही अपीलांटगण के पूर्वज विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार है। तथा उन्हे भूमि को टासफरेबल अधिकार थे जिन्हे अनदेखा कर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण के साथ अन्याय किया है जो अपील के माध्यम से चुनौती दिये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर एवं माननीय उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णयो मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि जिस दिन जागीर रिज्यूमशन अधिनियम प्रभाव मे आया है उस दिन राजस्व रिकार्ड मे यदि कृषक के रूप मे किसी व्यक्ति का नाम अंकित है तो उसे मंदिर माफी की भूमि नही मानी जाकर कृषक को खातेदार माना जाना चाहिए। तथा रेफरेन्स के आदेश मे राजस्व मंडल द्वारा अपने इन निर्णय को अनदेखा कर एक तरफा मे आदेश पारित किया जाकर भूमि को अपीलांटगण प्रतिवादीगण के नाम से मंदिर के नाम अंकित कर दी गइ जो मात्र विधिक भूल होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपीलांटगण को बिना सुने ही पारित किया है इसके कारण अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही हो सकी। इसलिए जानकारी के अभाव मे समय पर अपील प्रस्तुत नही की जा सकी। अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 1.3.24 को होने पर जानकारी के आधार पर अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण भी अन्य रेस्पो0 के साथ साथ प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान थे परन्तु उनमे से मात्र अपीलांटगण ही अपील के लिए उपलब्ध है इस

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

कारण अपीलांट के द्वारा आलोच्य निर्णय से व्यथित होकर अपील पेश की जा रही है। जिनमे शेष पक्षकारो को रेस्पो0 बनाया जा रहा है। क्योकि ये अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष या तो स्वयं प्रतिवादीगण थे या प्रतिवादीगण के विधिक वारिसान के रूप मे पत्रावली मे पक्षकारान अंकित थे इस कारण विधि अनुसार आवश्यक होने से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को माननीय मण्डल के निर्देशानुसार प्रत्येक तनकी पर विवेचन करते हुए पुनःनिर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता का दौराने बहस कथन रहा कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मंडल के निर्देशान्तर्गत ही तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि दौराने दावा वादी मूलचंद एवं प्रतिवादी नरसी व मोती तथा मुस0प्रेम के फौत हो जाने के उपरान्त भी विधि विरूद्व निर्णय पारित किया है जबकि यदि दौराने दावा वादी या प्रतिवादी मे से किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो विधि अनुसार उसके कायम मुकामान की कार्यवाही वादी द्वारा ही की जाती है। यह दायित्व वादी का था। अपीलांट का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई संबंध वास्ता नही है वह केवल अतिकमी के रूप मे काबिज है जिसे बेदखल कराने का अधिकार वादी को हासिल था। वादग्रस्त आराजीयात धारा 5 (25) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नाबालिंग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति द्वारा काश्त की जाती है तो भूमि नाबालिंग की ही मानी जाती है। मंदिर मूर्ति एक शाश्वत नाबालिंग है जिसकी भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा काश्त होने पर भी कब्जा मंदिर मूर्ति का माना जाता है। वादी मंदिर का पुजारी होने के कारण मंदिर माफी की भूमि की देखभाल करने एवं उससे उपज पैदावार को मंदिर के भोग विलास हेतु कार्य मे लिया जाता है। अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन भी मिथ्या है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजात का विधि अनुसार अवलोकन नही किया जबकि सत्यता यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्यो का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। राज्य सरकार एवं माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न निर्णयो मे यह मत पारित किया है कि किसी कारण से यदि मंदिर माफी की भूमि किसी व्यक्ति के नाम दर्ज हो गई जो तो उसे पुनः मंदिर के नाम दर्ज की जावे। इस प्रकार मंदिर माफी की भूमि पर अपीलांटगण को खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धाराओ 16,42 व 46 के दृष्टिगत ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 30.6.05 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एवं न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपास्त किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष को सुना जाकर पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया गया था। जिसकी पालना मे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण पुनःदर्ज रजिस्टर किया तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटगण की ओर से जबाब दावा पेश किया गया। जो पत्रावली के अवलोकन से साबित है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि वादी मूलचंद की दौराने दावा मृत्यु हो गई थी एवं इसी अनुसार प्रतिवादी नरसी व मोती तथा मुस0प्रेम के फौत हो जाने पर उनके कायम मुकामान की कार्यवाही किये वगैर ही मृतक वादी के पक्ष मे एवं मृतक प्रतिवादीगण के विरूद्व निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट का उक्त कथन पत्रावली के अवलोकन से साबित है तथा उक्त तथ्य को अपीलांट एवं रेस्पो0के अधिवक्तागण द्वारा स्वीकृत किया गया है। जबकि कानूनन दौराने दावा किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो विधि अनुसार उसके विधिक वारिसान को पक्षकार बनाते हुए उनको साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।उक्त प्रकरण मे वादी एवं प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतको के विधिक वारिसान कायम मुकामान को पक्षकार बनाने के सबंध मे किसी प्रकार की कार्यवाही नही की गई है तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियो के सबंध मे उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। लिहाजा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.1.24 प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत है जो न्याय की दृष्टि से विधि सम्मत नही है। अतः उक्त अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है कि मृतको के विधिक वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही करते हुए उनको साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार पुनः निर्णय पारित किया जावे।

अतःअपील अपीलांट रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा के प्रकरण संख्या 72/2005 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 5.1.24 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मंदिर मूर्ति रघुनाथजी महाराज विराजमान वाके ग्राम ईसरदा तहसील चौथ का बरवाडा के मृतक पुजारी मूलचंद के विधिक वारिसान एवं प्रतिवादी नरसी,मोती व मु0प्रेम के विधिक वारिसान को विधिवत रूप से पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त पुनःविधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबंद किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय मे दिनांक 28.11.25 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर